(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4013–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन, प्रकरण क्र. 6/अपील/2014–15

1–शंकरलाल पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर
2–कालूसिंह पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर
3–नागूलाल पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर
4–रामचन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर
निवासीगण बरखेडा तहसील तराना जिला उज्जैन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–निर्भयसिंह पुत्र श्री दर्याव सिंह बुंदेला
2–दुले सिंह पुत्र श्री दर्यावसिंह बुंदेला
3–रमेश पुत्र दुलेसिंह बुंदेला
4–रामचन्द्र पुत्र दर्यावसिंह
5–कालूसिंह पुत्र श्री बनेसिंह बंदुला
निवासीगण बरखेडा तहसील तराना जिला उज्जैन
हालमुकाम बंजारी तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–12–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 6/अपील/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अम्बाराम द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–12–2015 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत कियां गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना साक्ष्य लिये उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अम्बाराम के पिता शंकरलाल द्वारा उसे दी गई है इसलिये वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अम्बाराम तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं है और न ही राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है इसलिये वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने

अम्बाराम का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–12–2015 से अम्बाराम व्यथित था और उसे ही निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार था, अन्य पक्षकार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण कार्यवाही नहीं है, इसलिये यह निगरानी अमान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर